

1004

प्रति,

जिला शिक्षा पदाधिकारी

भोजपुर, बिहार।

सेवा में,

श्री राजेश पासवान (निदेशक)

शोध एवं प्रशिक्षण

मानव संसाधन विकास विभाग, पटना, बिहार।

दिनांक 31/05/11

विषय: जिला कॉलेज ऑफ एजुकेशन, गिधा, भोजपुर के प्रसवीकृति देने के संबंध में।

संदर्भ:

उपर्युक्त विषयक भवदीय पत्रांक 11/प्र 7-19/2011 479 दिनांक 16/05/2011 को जलक में बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन (A Unit of Nav Bharathi Trust), गिधा, जिला-भोजपुर का स्थलीय निरीक्षण किया गया जिसका निरीक्षण प्रतिवेदन कठिक्क कर निम्नस्त है:-

अनिवार्य शर्तों

स्थितियाँ

1. राष्ट्रीय अभ्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार के माफरती B.E.D. कॉलेज के लिए कम से कम 2500 वर्ग मीटर सार्वजनिक भूमि होनी चाहिए जिसमें 1000 वर्ग मीटर निर्मात का कम चाहिए।

यह कॉलेज अर्थात बिहार कॉलेज ऑफ एजुकेशन के पास 15 अकाल सीमांकित भूमि है जिसमें 2500 वर्ग मीटर निर्मात का है। शेष भूमि क्षेत्र में यतन का हुआ है कि वह भूखण्ड अर्थात BADA से कॉलेज के लिए जमीन के रजिस्टर्ड क्षेत्र का निर्मात है। जिसकी कति संख्या है 1000 वर्ग मीटर है।

जमीन का वर्णन

प्लॉट (प्लॉट नंबर)	खण्ड सं.	औद्योगिक वर्ग	प्लॉट सं.	क्षेत्रफल
MUP-111 (P)	286	Industrial	139	1.5 Acre
	383	Growth		5-90 Sq.
	321	Centre		Foot
		Gidha		

Boundry (चौहद्दी)

North	South	East	West
Plot No. MUP-111(B)	N.H. 30	Private	Plot No. MUP-111NS-116.B-16

उपर्युक्त जमीन में निर्माण कार्य NCET मापदंड के अनुसार ²⁷¹ है जिसका विवरण निम्नलिखित है :-

क्र.सं	कमरा	आकार	संख्या
1	प्रवेश	22'X20'	1
2	वर्कशॉप कमरा	18'X26'	1
3	स्टॉक	13'X7'	3
4	मेन्सिन टॉलेट	32'X62'	1
5	पेन्टिंग कमरा	26'X17'8"	1
6	रिसेप्शन	26'X18'	1
7	क्यान्स कमरा	26'X21'	2
8	प्रयोग शाला	26'X26'	4
9	भूतकाल	32'X43'9"	1
10	कॉन्स कमरा (लडकी)	32'X17'11"	1
11	कॉन्स कमरा (लडकी)	18'X27'8"	1

अनिवार्य शर्तों

2. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के अनुसार के मापदंड के अनुसार कॉलेज को ट्रस्ट एक्ट के तहत निर्बाधित होना चाहिए। ट्रस्ट में किसी एक व्यक्ति या परिवार का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए।

स्थितियाँ

यह कॉलेज नव शक्ती ट्रस्ट द्वारा संवाहित है, उक्त ट्रस्ट का निबंधन संख्या/दस्तावेज संख्या 783 दिनांक 08.07.2009 है। यह ट्रस्ट अबर निबंधन कार्यालय, यल्लंटा द्वारा निर्बाधित है। ट्रस्ट में किसी व्यक्ति या परिवार का प्रभुत्व नहीं है। ट्रस्ट के प्रत्येक सदस्य का नाम पता, व्यवसाय तथा टेलिफोन नं० की पूर्ण विवरण उपलब्ध है एवं नन प्रोपरायटरी संरक्षण है जिसके माध्यम से ट्रस्ट का ट्रस्ट कॉपी संलग्न है।

3. राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के मापदंड के अनुसार शिक्षकों एवं अन्य महाविद्यालय कर्मियों की नियुक्ति समाचार पत्रों में विज्ञापन निम्नलिखित विहित प्रक्रिया अपनाकर किये जाने की अपेक्षा की जाती है।

शिक्षकों एवं अन्य कर्मियों की नियुक्ति NCTE मापदंड के अनुरूप समाचार पत्रों में विज्ञापन निम्नलिखित विहित प्रक्रिया अपनाते हुए की जाती है तथा भविष्य में भी की जाएगी। शपथ पत्र का कर्तव्य संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि NCTE, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भुवनेश्वर से महाविद्यालय की सम्बद्धता हेतु प्रसवीकृति पत्र निर्गत करने हेतु अनुशंसा के साथ आवश्यक कार्याध्य समर्पित।

अनुलग्नक - 1 यथापरि।

विश्वामभाजन

जिला शिक्षा पदाधिकारी,

भोजपुर विहार।